In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Central Goods and Services Tax Act.".

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 17/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 696 (E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 20/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1049(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 20 के खंड (iii) और खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

(i) क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जैसा कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में परिभाषित हो, और जो कि सरकार, स्थानीय निकाय या किसी सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,— (क) ऐतिहासिक इमारत, प्रागैतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक महत्व के अवशेष या प्रागैतिहासिक उत्खनन या प्राचीन वस्तुएं जो कि प्राचीन स्मारक एवं प्रागैतिहासिक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) में विनिर्दिष्ट हैं;	12	-
(ख) नहर, बांध और सिंचाई की अन्य संरचनायें; (ग) पाइप लाइन, कन्डुइट या प्लांट जो कि (i) जल आपूर्ति (ii) जल शोधन, या (iii) सीवरेज शोधन या निपटान के लिए हों।		
(iv) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथा विनिर्दिष्ट हो और निम्निलिखित के निर्माण, स्थापना, पूरा करने, मरम्मत करने, देख-रेख करने, नवीनीकृत करने या संशोधित करने के लिए की गई हो, यथा—	12	-

14 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORL	INAK I	[PART II—SEC. 3(1)]
(क) सड़क, पुल, सुरंग या टर्मिनल जो कि सामान्य जनता के सड़क		
परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हो;		
(ख) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि जवाहर लाल		
नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन या राजीव आवास योजना की किसी		
स्कीम से संबंधित हो;		
(ग) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए		
(शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना, के अंतर्गत "निजी		
भागीदारी के माध्यम से वर्तमान स्लम वासियों की उनकी वर्तमान जमीन का		
संसाधन के रूप में प्रयोग करके स्वस्थानिक आवास" से संबंधित हो, केवल		
वर्तमान स्लम वासियों के लिए;		
(घ) सिविल निर्माण कार्य या अन्य मूल निर्माण कार्य जो कि सब के लिए		
(शहरी) आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत ''लाभान्भोगी		
उन्मुखी व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्धन" से संबंधित हो;		
(ङ) प्रदूषण नियंत्रण कचरा निपटान संयंत्र, उनको छोड़कर जो कि		
कारखाने के एक हिस्से के रूप में अवस्थित हों; या		
(च) संरचनाएं जो कि श्मसान या कब्रगाह, शवदाह के लिए हों।		
(v) निर्माण ठेके के लिए संयुक्त आपूर्ति जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर		
अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उपधारा (119) में यथा परिभाषित हों और		
ऐसे निर्माण, स्थापना या मूल निर्माण के माध्यम से की गई हो जो कि		
निम्नलिखित से संबंधित है,—		
(क) रेलवे, मोनोरेल और मेट्रो को छोड़कर;		
(ख) एकल आवासीय इकाई जो कि किसी आवासीय परिषद के हिस्से से पृथक हो;		
(ग) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60		
वर्गमीटर तक हो और ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिसे सक्षम प्राधिकारी		
द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई		
गई "स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप" के अंतर्गत अनुमोदित		
हो;	12	-
(घ) कम लागत वाले मकान जिनका कारपेट एरिया प्रति मकान 60		
वर्गमीटर तक हो और जो ऐसी आवासीय परियोजना में हो जिनको कि सक्षम		
प्राधिकारी ने निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमोदित किया हो—		
(1) सब के लिए (शहरी) मकान मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के		
'अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप' घटक;		
(2) राज्य सरकार की कोई आवासीय योजना;		
(ङ) कृषि उत्पादों के फसलोपरान्त भण्डारण की संरचनाएं जिसमें इस		
उद्देश्य से सम्बंधित कोल्ड स्टोरेज भी आता है; या		
(च) मैक्नाइज्ड फूड ग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम, मशीनरी या उपकरण जो कि		
उन इकाईयों के लिए हो जहां कि कृषि उत्पादों का खाद्य पदार्थ के रूप में		
प्रसंस्करण होता है, अल्कोहल युक्त पेय को छोड़कर।		

(vi) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न निर्माण सेवाएं।	18	-";

(ii) क्रम सं. 8 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)	(5)
"(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित		बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में
की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन ।		प्रयुक्त माल और सेवाओं पर
	E	प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय
		नहीं लिया गया है । (कृपया
		स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश
		करें)
		या
	12	-";

(iii) क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

(4)	(5)
	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में
	प्रयुक्त माल और सेवाओं पर
E	प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय
5	नहीं लिया गया है । (कृपया
	स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश
	करें)
	या
	बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन
	अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि
	के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर
	से एकीकृत कर का भुगतान
	करने का विकल्प चुनती है,
12	उसे तद्दोपरांत अपने द्वारा
	माल परिवहन अभिकरण की
	आपूर्ति की जाने वाली सभी
	सेवाओं पर 12 प्रतिशत की
	दर से एकीकृत कर का भुगतान करना पड़ेगा।";
	5 12

(iv) क्रम सं. 10 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

(3)	(4)	(5)
"(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तिकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना।	5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश
	12	करें) या -";

(v) क्रम सं. 11 के समक्ष कॉलम (3) के मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

(3)	(4)	(5)
"(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की		बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में
सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है ।		प्रयुक्त माल और सेवाओं पर
स्पष्टीकरण- "माल परिवहन अधिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से	5	प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय
माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे किसी	5	नहीं लिया गया है । (कृपया
भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है ।		स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश
		करें)
		या
		बशर्ते कि ऐसे माल परिवहन
		अभिकरण जो कि इस प्रविष्टि
		के अंतर्गत 12 प्रतिशत की दर
		से एकीकृत कर का भुगतान
		करने का विकल्प चुनती है,
	12	उसे तद्दोपरांत अपने द्वारा
		माल परिवहन अभिकरण की
		आपूर्ति की जाने वाली सभी
		सेवाओं पर 12 प्रतिशत की
		दर से एकीकृत कर का
		भुगतान करना पड़ेगा।";

- (vi) क्रम सं. 26 के समक्ष,—
- (क) कॉलम (3) में मद (i) के समक्ष,—
 - (क) उप-मद (ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—
 - "(ख) वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आते हैं;";
- (क) स्पष्टीकरण को निरसित कर दिया जाएगा;
- (ख) कॉलम (3) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

(3)	(4)	(5)
"(ii) अन्य व्यक्तियों के माल पर किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं जो कि निम्नलिखित से संबंधित है — (क) समाचार पत्रों का मुद्रण; (ख) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण।	5	-
(iii) पूर्वोक्त (i) और (ii) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं।	18	-";

(vii) क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27	शीर्ष 9989	(i) समाचार पत्र, पुस्तकें (जिसमें ब्रेल पुस्तकें भी शामिल हैं)		
		पत्रों और आवधिक पत्रों के मुद्रण के माध्यम से दी जाने वाली		
		सेवा, जहां कि प्रकाशक द्वारा केवल विषयवस्तु प्रदान की जाती	12	-
		है और जिसमें कागज़ समेत प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होने वाले		
		भौतिक इनपुट प्रिंटर के होते है ।		
		(ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं;		
		प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली	18	-";
		सेवाएं।		

(viii) क्रम सं. 34 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (i) में शब्द "ड्रामा है" के पश्चात् "या प्लेनेटेरियम" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

No. 20/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1049(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (iii) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(i) against serial number 3, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of		
section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied to the	12	-
Government, a local authority or a Governmental authority by way		

of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting		
out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,—		
(a) a historical monument, archaeological site or remains of national		
importance, archaeological excavation, or antiquity specified		
under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and		
Remains Act, 1958 (24 of 1958);		
(b) canal, dam or other irrigation works;		
(c) pipeline, conduit or plant for (i) water supply (ii) water treatment,		
or (iii) sewerage treatment or disposal.		
(iv) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of		
section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by		
way of construction, erection, commissioning, installation, completion,		
fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,—		
(a) a road, bridge, tunnel, or terminal for road transportation for use		
by general public;		
(b) a civil structure or any other original works pertaining to a		
scheme under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission		
or Rajiv Awaas Yojana;		
(c) a civil structure or any other original works pertaining to the "In-		
situ rehabilitation of existing slum dwellers using land as a	12	_
resource through private participation" under the Housing for All	12	
(Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas Yojana, only for existing		
slum dwellers;		
(d) a civil structure or any other original works pertaining to the		
"Beneficiary led individual house construction/enhancement"		
under the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri Awas		
Yojana;		
(e) a pollution control or effluent treatment plant, except located as a		
part of a factory; or		
(f) a structure meant for funeral, burial or cremation of deceased.		
(v) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of		
section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by		
way of construction, erection, commissioning, or installation of original		
works pertaining to,—		
(a) railways, excluding monorail and metro;		
(b) a single residential unit otherwise than as a part of a residential		
complex;		
(c) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house		
in a housing project approved by competent authority empowered		
under the 'Scheme of Affordable Housing in Partnership' framed		
by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation,		
Government of India;	12	-
(d) low cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house		
in a housing project approved by the competent authority under—		
(1) the "Affordable Housing in Partnership" component		
of the Housing for All (Urban) Mission/Pradhan Mantri		
Awas Yojana;		
(2) any housing scheme of a State Government;		
(e) post-harvest storage infrastructure for agricultural produce		
including a cold storage for such purposes; or		
(f) mechanised food grain handling system, machinery or equipment		
for units processing agricultural produce as food stuff excluding		
alcoholic beverages.		
(vi) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	18	-";
(-1) () ((-) (-)		,

(ii) against serial number 8, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has

	not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]
or	
12	-'';

(iii) against serial number 9, for item (iii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.</i> - "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]
	or	
	12	Provided that the goods transport agency opting to pay integrated tax @ 12% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay integrated tax @ 12% on all the services of GTA supplied by it.";

(iv) against serial number 10, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]
		or
	12	-";

(v) against serial number 11, for item (i) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)	
"(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). Explanation.—"goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation No. (iv)]	
	or		
	12	Provided that the goods transport agency opting to pay integrated tax @ 12% under this entry shall, thenceforth, be liable to pay integrated tax @ 12% on all the services of GTA supplied by it.";	

- (vi) against serial number 26,—
 - (a) in column (3), in item (i),—
 - (A) for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:—

- "(b) Textiles and textile products falling under Chapter 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);";
- (C) the *Explanation* shall be omitted;
- (b) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(ii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in		
relation to—	5	
(a) printing of newspapers;		-
(b) printing of books (including Braille books), journals and periodicals.		
(iii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i)	18	-";
and (ii) above.	10	

(vii) for serial number 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27	Heading 9989	(i) Services by way of printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals, where only content is supplied by the publisher and the physical inputs including paper used for printing belong to the printer.	12	-
		(ii) Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services, other than (i) above.	18	-";

(viii) against serial number 34, in column (3), in item (i), after the word "drama", the words "or planetarium" shall be inserted.

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सं. 21/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1050(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में,—

(क) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क	अध्याय 99	फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एशोसिएशन (एफआईएफए) और इसके	कुछ नहीं	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के